Government of Bihar
Energy Department

Notification

Notification no :-प्र02/आ0ले0–13/11 03 Dated 29/1/13

In exercise of the powers conferred by sub section (1) and clause (j) of sub-section (2) of section 180 read with section 106 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling in this behalf, the Government of Bihar hereby makes the following Rules:-

Bihar Electricity Regulatory Commission (Budget) Rules, 2012.

Part-I

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Bihar Electricity Regulatory Commission (Budget) Rules, 2012.

(2). It shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. Definitions-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Electricity Act, 2003.

(b) "**Annual Financial Statement or Budget**" means the statement of annual estimated receipts and expenditure of the Commission;

(c) "**Commission**" means the Bihar Electricity Regulatory Commission;

(d) "**BERC Fund**" means the Bihar Electricity Regulatory Commission Fund established by the State Government under section 103 of the Act;

(e) "**Form**" means a form appended to these rules;

(f) "**State Government**" means the Government of Bihar;

(g) "**Year**" means the financial year starting from the 1st April and ending on the 31st March of the next year;

(h) "**Appendix**" means an appendix to these rules;

(2). All other **words and expressions** used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Part-II

3. Preparation of Budget- The Commission shall prepare its budget ie, Annual Financial statement (statement of annual estimated receipts and expenditure) for the next financial year, commencing from 1st April shall end on 31st March.

4. Budget format- The Commission shall prepare its budget-

(a) in form-I(Receipts), its estimated receipts in the next financial year.

(b) in form-II (Expenditure) its estimated expenditure in the next financial year.

(c) in form-III sanctioned strength and man power in position and expenditure on pay and allowance.

5. Account head- The budget of the Commission shall be prepared under appropriate heads of Account as decided by State Government from time to time. Primary units of receipts and expenditure heads with subject code are listed in Appendix.

6. Submission of the Budget- The Budget estimates (Annual financial statement) so prepared under rule 3 and 4 above shall be submitted to the State Government on or before 30th September each year of the next financial year or such extended time as may be approved by the State Government.

7. Preparation of revised budget estimates and its submission- In case the Budget estimates prepared under rule 3 and rule 4 above are found insufficient in the current year for any reason, the commission may prepare revised budget estimates for the current financial year with proper justification and shall send to the State Government.

8. Sources of funding of the budget estimates and the revised estimates- (1) Budget estimates, so prepared under rule 3 and 4 & revised estimates prepared under rule 7 shall be, at the first instance, funded from the BERC Fund and in case the BERC Fund is not sufficient, the shortfall shall be provided by the Government in the shape of grant-in-aid.

9. **Miscellaneous-** In case of any doubt regarding interpretation of these rules, or when express provision has not been made in these rules about a particular matter, the same shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

10. Rules to be laid before Legislature - These Rules shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Houses of the Legislature while it is in session for a total period of fourteen days. This period may be comprised in one session, or in two or more successive sessions. If, before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid, the Houses agree in making any modifications in the Rules or the Houses agree that it should be passed as it is or the Houses agree that these Rules should not be made, these Rules shall, thereafter have effect only in such modified form or be deemed to be passed as it is by the Houses or be of no effect.

By order of the Governor of Bihar
Sd/-
Secretary to the Govt. of Bihar,
Department of Energy.

Memo No………………….   Patna, Dated: ------

Copy forwarded to the Dy. Secretary, Press, (e-gazette cell), Finance Department, Bihar, Patna. He is requested to make available 500 (hundred) copies of the published gazette to Energy Department, Govt. of Bihar.

Sd/-
Secretary,
Energy Department.

Memo No………493……………………   Patna, Dated:-29/1/13------

Copy forwarded to Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi/Principal Accountant General (Audit) Bihar, Patna /Secretary, Bihar Electricity Regulatory Commission, Patna for information and necessary action.

21/1/13
Secretary,
Energy Department.

APPENDIX

(See Rule 5)

BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

List of Primary Units of Receipt and Expenditure Heads

Organization :- Bihar Electricity Regulatory Commission

Administrative Department :- Energy Department

Major Head :- 2801 (Exp.)/0801(Receipt) Electricity **Major Sub Head:** 80 General

Minor Head : 800 other Receipts/Charges **Sub Head**: 0001-Bihar-Electricity Regulatory Commission

Bill Code : N2801808000001 **Demand No**. : 10

Sl No.	Subject Code	Units (Subject details)
1.		**RECEIPT HEADS**
	3101grant in aid	**I. Grants-in-aid from State Government**
		II. Receipts of the Commission
	0070	(a) License Fee
	0070	(b) Fines
	0070	(c) Application fee
	0049	(d) Interest on deposit
	0070	(e) Arbitration Fee
	0070	(f) Other receipt
2.		**EXPENDITURE HEADS** **I. Employees Cost**
	0101	(a) Pay/ Leave salary/
	0102	(b) Special Pay
	0103	(c) Subsistence allowance/ Dearness Allowance
	0104	(d) House Rent Allowance
	0105	(e) Transport Allowance
	0106	(f) Medical Allowance
	0107	(g) Sumptuary Allowance
	0107	(h) Domestic Help Allowance
	0107	(i) Other Allowances
	0107	(j) Honorarium
	0107	(k) Bonus
	3201	(l) Pension contribution
	3201	(m) Leave salary contribution
	0601	(n) Reimbursement of Medical Expenses
	1101	(o)Travelling Expenses

	1101	(p) Leave Travel Concession
		II. Retirement Benefits
	0403	(a) Pension
	0404	(b) Gratuity
	0406	(c) Leave encashment
		III. Office Expenses
	1303	(a) Telephone and Fax Charges
	1301	(b) Postage/Courier Charges
	1301	(c) Stationery
	1301	(d) Computer Consumables
	1301	(e) House Keeping and contingencies
	1301	(f) Internet charges
	1304	(g) Electricity Change
	1301	(h) Hire Charges for Computers
	1302	(i) Hire charges of Vehicle/POL and Maintenance of Vehicle
	1301	(j) Other charges
	1401	(k) Rent, and Taxes
	1305	(l) Legal Expenses
	1301	(m) Payment to Consultants
	0201	(n) Wages
	1301	(o) Audit fees
	1301	(p) Memberships and subscription
	1306	(q) Liveries
	1301	(r) Hiring of Security Services
	2001	(s) Hospitality Expenses
	2003	(t) Training and Workshop Expenses
	1301	(u) Miscellaneous Expenses
	1302	(v) Registration and Road Tax of Motor Vehicle
		IV. Repair and Maintenance
	2702	(a) Building
	2702	(b)Fax Machine
	2702	(c) Water Coolers/Water Purifier
	2702	(d) Air Conditioners
	2702	(e) Fire Fighting equipment
	2702	(f) Electrical equipment and accessories
	2702	(g) Electronic Equipment
	2702	(h) UPS and Batteries
	2702	(i) Xerox Machine
	2702	(j) Furniture and Fixture
	1301	(k) Maintenance of Garden
	1302	(l) Miscellaneous
		V. Purchase of Assets (Non-recurring)

	5201	(a) Computer and Peripherals (Hardware and Software)
	5201	(b) Copier/Xerox machine
	5201	(c) Fax
	5201	(d) Telephone Installation
	5201	(e) Water Coolers/ Water Purifier
	5201	(f) Air Conditioners
	5201	(g) Furniture & Fixtures
	5101	(h) Purchase of New Motor Vehicle
	1301	(i) Purchase of Books and Priodicals
	1301	(j) Purchase of Bicycle
	1301	(k) Others
		VI. Other Expenditure (Charges)
	1601	1. Publications and Printing
	2002	2. Hearing, Seminar, Conference
	2601	3. Publicity and Advertisement
	2701	4. Minor Works

Any other expenditure head/item as notified by the State Government, from time to time.

By order of the Governor of Bihar

21/1/13

Secretary to the Govt. of Bihar,
Department of Energy.

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या :– प्र2/आ०वि०-13/11- 03 दिनांक :– 29/1/13

विधुत अधिनियम, 2003 की धारा 180 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (ञ) के साथ पठित अधिनियम की धारा 106 द्वारा प्रदत भाक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य समर्थक भाक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बजट) नियमावली, 2012

भाग–1

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** – (1) यह नियमावली बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बजट) नियमावली
2012 कही जा सकेगी ।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. **परिभाशाऍं** – (1) इस नियमावली में, जब तक सन्दर्भ में, अन्यथा अपेक्षित न हो–
(क) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003;
(ख) "**वार्शिक वित्तीय विवरण या बजट**" से अभिप्रेत है आयोग के वार्शिक प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण;
(ग) "**आयोग**" से अभिप्रेत है बिहार विधुत विनियामक आयोग;
(घ) "**बि0 वि0 वि0 आयोग निधि**" से अभिप्रेत है बिहार विधुत विनियामक आयोग निधि जिसे अधिनियम की धारा 103 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठन किया गया है ;
(ङ0) "**प्रपत्र**" से अभिप्रेत है प्रपत्र जो इस नियमावली के साथ संलग्न हैं;
(च) "**राज्य सरकार**" से अभिप्रेत है बिहार–सरकार ;
(छ) "**वर्श**" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्श, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्श 31 मार्च को समाप्त होता है;
(ज) "**परिशिष्ट**" से अभिप्रेत है इस नियमावली का परिशिष्ट ;
(झ) इस नियमावली में प्रयुक्त तथा अपरिभाशित किंतु अधिनियम में परिभाशित अन्य सभी "**भाब्द** एवं **अभिव्यक्तियों** के वही अर्थ होगे जो उनके लिए अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित किये गये हों।

भाग–2

3. **बजट की तैयारो** – आयोग अगले वित्तीय वर्श, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा के लिए अपना बजट अर्थात् वार्शिक वित्तीय विवरण (वार्शिक प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण) तैयार करेगा ।

4. **बजट का रूपविधान (फॉरमेट)** – आयोग अपना बजट निम्नलिखित प्ररूप में तैयार करेगाः–

(क) प्ररूप I (प्राप्तियॉ), में अपना अगले वित्तीय वर्श की प्राक्कलित प्राप्तियाँ ;

(ख) प्ररूप II (व्यय), में अगले वित्तीय वर्श का प्राक्कलित व्यय ;

(ग) प्ररूप III में मंजुर बल, मानव भाक्ति तथा वेतन एवं भत्ते मद में व्यय का विवरण।

5. **लेखा भीर्श** – आयोग का बजट राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर, यथाविनि" चत समुचित लेखा भीर्श के अधीन तैयार किया जायगा। प्राप्तियों तथा व्यय भीर्श की प्राथमिक इकाई तथा विशय संकेत (कोड) परि" ाश्ट में सूचीबद्ध हैं।

6. **बजट का प्रेशण** – उपर्युक्त नियम 3 एवं 4 के अधीन अगले वित्तीय वर्श के लिए उस प्रकार तैयार किया गया बजट प्राक्कलन (वार्शिक वित्तीय विवरण) राज्य सरकार को, प्रत्येक वर्श 30 सितम्बर अथवा ऐसे विस्तारित समय के पूर्व जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय, प्रेशित किया जायगा।

7. **पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन की तैयारी एवं उसका प्रेशण** – उर्पयुक्त नियम 3 एवं 4 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन चालू वर्श में किसी कारणव" ा अप्रर्याप्त पाये जाने की द" ाा में आयोग समुचित औचित्य के साथ, चालू वित्तीय वर्श के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और राज्य सरकार को भेज देगा।

8. **बजट प्राक्कलन एवं पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन के लिए निधि की व्यवस्था** –

उपर्युक्त नियम 3 एवं 4 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन एवं उपर्युक्त नियम 7 के अधीन तैयार पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन सर्वप्रथम विद्युत विनियामक आयोग निधि से वित्त पोशित होगा तथा विद्युत विनियामक आयोग का कोश पर्याप्त नहीं पाये जाने की द" ाा में अन्तर रा" ा (shortfall) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जायगी।

9. **विविध** – इन नियमों के निर्वचन से संबंधित किसी सं" ाय की द" ाा में अथवा किसी वि" ोश मामले के बारे में, जहाँ इन नियमावली में अभिव्यक्त प्रावधान नहीं बनाया गया हो उसे राज्य सरकार को निर्दे" ात कर दिया जायगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

10. **नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना** – यह नियमावली, बनाए जाने के प" चात्, यथाभाक्य " ाीघ्र, विधान मंडल के सदनों के समक्ष, जब वे सत्र में हों, कुल चौदह दिनों के लिए रखी जायगी। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक कमवर्ती सत्रों को मिलाकर हो सकेगी। यदि उपर्युक्त सत्र या कमवर्ती सत्रों के ठीक बाद वाले सत्रावसान से

पहले, सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियमावली यथावत पारित की जानी चाहिए अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह नियमावली न बनायी जाय तो तत्प" चात नियमावली, यथास्थिति, उस उपतांरित प्ररूप में ही प्रभावी होगी अथवा नियमावली यथावत् रूप में पारित समझी जायगी अथवा उसका कोई प्रभाव नही होगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

21/1/13

सचिव
उर्जा विभाग

ज्ञापांक संख्या : 493 पटना, दिनांक 29/1/13

प्रतिलिपि– उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इस अधिसूचना को राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशित कर इसकी पाँच सौ प्रतियॉ इस विभाग को भेजा जाय।

21/1/13

सचिव
उर्जा विभाग

ज्ञापांक संख्या : 493 पटना, दिनांक 29/1/13

प्रतिलिपि– सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार, पटना/सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना

21/1/13

सचिव
उर्जा विभाग

परि”ाश्ट

(नियम- 5 देखें)

बिहार विद्युत विनियामक आयोग

प्राप्तियों और व्यय भाीर्शो के प्राथमिक इकाईयों की सूची

संस्था / विभाग : बिहार विद्युत विनियामक आयोग

प्र” ाासनिक विभाग : उर्जा विभाग

मुख्य भाीर्श : 0801 (प्राप्तियों)/2801(व्यय) विद्युत उप मुख्य भाीर्श**:** 80 सामान्य

लघु भाीर्श : 800 अन्य प्राप्तियाँ/ प्रभार उप भाीर्श **:** 0001- बिहार विद्युत विनियामक आयोग

विपत्र कोड : N2801808000001 मांग संख्या : 10

क्रम संख्या	**विशय संकेत (कोड)**	**इकाई (विशय विवरण)**
1.	**प्राप्तियों का भाीर्श**	
	3101 **I. राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान**	
		सहायता अनुदान
	II. आयोग की प्राप्तियॉ	
	0070	(क) लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) फीस
	0070	(ख) अर्थदंड (फाइन)
	0070	(ग) आवेदन (याचिका) फीस
	0049	(घ) जमा पर ब्याज
	0070	(ड.) विवाचन (आरविट्रे” ान) फीस
	0070	(च) अन्य प्राप्तियों
2.	**व्यय भाीर्श**	
	I.कर्मियों पर व्यय	
	0101	(क) वेतन एवं अवका” ा वेतन
	0102	(ख) वि” ोश वेतन
	0103	(ग) जीवन यापन भत्ता / महंगाई भत्ता
	0104	(घ) मकान किराया भत्ता
	0105	(ड.) परिवहन भत्ता
	0106	(च) चिकित्सा भत्ता
	0107	(छ) आतिथ्य भत्ता
	0107	(ज) घरेलू मदद भत्ता
	0107	(झ) अन्य भत्ते
	0107	(ञ) मानदेय
	0107	(त) अधिलाभ (बोनस)
	3201	(थ) पें” ान अं” ादान

	3201	(द) अवका" ा वेतन अं" ादान
	0601	(ध) चिकित्सा व्यय की क्षतिपूर्ति
	1101	(न) यात्रा व्यय
	1101	(प) रियायत छुट्टी यात्रा व्यय (एल0टी0सी0)
	II. सेवा निवृत लाभ	
	0403	(क) पें" ान
	0404	(ख) उपादान (ग्रेच्यूटी)
	0406	(ग) छुट्टी के बदले नकद भुगतान
	III. कार्यालय व्यय	
	1303	(क) दूरभाश एवं फैक्स प्रभार
	1301	(ख) डाक एवं द्रुतवाहक (कुरियर) प्रभार
	1301	(ग) लेखन प्रभार
	1301	(घ) कम्प्यूटर उपभोग वस्तुएँ (कम्प्यूटर कंज्यूमेबल)
	1301	(ड.) गृह व्यवस्था (हाउसकीपिंग) एवं आकस्मिकता
	1301	(च) इंटरनेट/नेटवर्किंग प्रभार
	1304	(छ) विद्युत प्रभार
	1301	(ज) कम्प्यूटर का किराया
	1302	(झ) भाड़ा पर ली गयी गाड़ी पर व्यय तथा वाहन का इंधन एवं रखरखाव
	1301	(ञ) अन्य प्रभार
	1401	(त) कर एवं किराया
	1305	(थ) विधिक व्यय
	1301	(द) सलाहकारों पर व्यय
	0201	(ध) मजदूरी
	1301	(न) अंकेक्षण फीस
	1301	(प) सदस्यता फीस एवं अं" ादान
	1306	(फ) वर्दी व्यय
	1301	(ब) सुरक्षा प्रहरी पर व्यय
	2001	(भ) आतिथ्य व्यय
	2003	(त) प्रि" ाक्षण एवं कार्य" ााला व्यय
	1301	(थ) वाहन का निबंधन एवं पथकर
	1302	(द) विवध व्यय
	IV. मरम्मत एवं अनुरक्षण	
	2702	(क) मकान
	2702	(ख) फैक्स म" ाीन
	2702	(ग) वाटर कुलर/वाटर प्यूरिफायर
	2702	(घ) वायु वातानुकूलक (एयर कंडीसनर)
	2702	(ड.) अग्नि" ामन उपकरण
	2702	(च) विद्युत उपकरण एवं सह उपकरण (एक्सेसरीज)
	2702	(छ) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
	2702	(ज) यू0 पी0 एस0 एवं बैटरी
	2702	(झ) फोटो कॉपी म" ाीन/जेरॉक्स म" ाीन

	2702	(ञ) उपस्कर
	1301	(त) बगीचे का रखरखाव
	1302	(थ) विवध
	V. आस्तियों का क्रय (अनावर्ती)	
	5201	(क) कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स (हार्डवेयर एण्ड सोफ्टवेयर)
	5201	(ख) कॉपियर/जेरॉक्स म” ीन
	5201	(ग) फैक्स
	5201	(घ) दूरभाश संस्थापन (टेलीफोन इन्सटॉले” ान)
	5201	(ङ.) वाटर कुलर/वाटर प्यूरिफायर
	5201	(च) वातानुकूलक (एयर कंडिसनर)
	5201	(छ) फरनीचर एवं फिक्सचर
	5101	(ज) नई मोटर गाड़ी का क्रय
	1301	(झ) पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का क्रय
	1301	(ञ) साईकिल क्रय
	1301	(त) अन्य
	VI. अन्य व्यय (प्रभार)	
	1601	(क) प्रका” ान एवं मुद्रण
	2002	(ख) सुनवाई, संगोश्ठी (सेमिनार) सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस)
	2601	(ग) प्रचार एवं विज्ञापन
	2701	(घ) लघु कार्य
	2701	(ङ.) अन्य

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित कोई अन्य व्यय भीर्श मद ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

21/1/13

सरकार के सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना

प्रपत्र-1 (प्राप्तियॉ)
[नियम- 4 (क) देखें]
राज्य सरकार को प्रेषण हेतु
आयोग का प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन

संस्था/विभाग	: बिहार विद्युत विनियामक आयोग		
प्रशासनिक विभाग	: उर्जा विभाग		
मुख्य शीर्ष	: 0801 विद्युत	मुख्य उप शीर्ष	: 80 सामान्य
लघु शीर्ष	: 800 अन्य प्राप्तियाँ	उप शीर्ष	: 0001- बिहार विद्युत विनियामक आयोग
विपत्र संकेत (कोड)	: N2801808000001	मांग संख्या	: 10

विषय संकेत (कोड) (प्राथमिक ईकाई)	विषय विवरण	पिछले तीन वर्षां में वास्तविक प्राप्तियाँ			चालू वर्ष का स्वीकृत प्राक्कलन	वास्तविकी		चालू वर्ष का पुनरीक्षित प्राक्कलन	अगले वित्तीय वर्ष का प्रस्तावित प्राक्कलन	अभियूक्तियॉ (व्यख्यात्मक)
						पिछले वर्ष का प्रथम चार माह	चालू वर्ष का प्रथम चार माह			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जैसा कि परिशिष्ट-1 में उल्लेख है	जैसा कि परिशिष्ट-1 में उल्लेख है									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									

प्रपत्र-II (व्यय)
[नियम- 4 (ख) देखें]
राज्य सरकार को प्रेषण हेतु
आयोग का व्यय का बजट प्राक्कलन

संस्था/विभाग : बिहार विद्युत विनियामक आयोग
प्रशासनिक विभाग : उर्जा विभाग
मुख्य शीर्ष : 2801 विद्युत मुख्य उप शीर्ष : 80 सामान्य
लघु शीर्ष : 800 अन्य प्रभार उप शीर्ष : 0001- बिहार विद्युत विनियामक आयोग
विपत्र संकेत (कोड) : N2801808000001 मांग संख्या : 10

विषय संकेत (कोड) (प्राथमिक ईकाई)	विषय विवरण	पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय			चालू वर्ष का स्वीकृत प्राक्कलन	वास्तविकी		चालू वर्ष का संशोधित प्राक्कलन	अगले वित्तीय वर्ष का प्रस्तावित प्राक्कलन	अभियूक्तियॉ (व्यख्यात्मक)
						पिछले वर्ष का प्रथम चार माह	चालू वर्ष का प्रथम चार माह			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जैसा कि परिशिष्ट-1 में उल्लेख है	जैसा कि परिशिष्ट-1 में उल्लेख है									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									
वही	वही									

प्रपत्र-III

[नियम- 4 (ग) देखें]

राज्य सरकार को प्रेषण हेतु

स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं व्यय का विवरण

संस्था / विभाग : बिहार विद्युत विनियामक आयोग
प्रशासनिक विभाग : उर्जा विभाग
मुख्य शीर्ष : 2801 (व्यय) विद्युत मुख्य उप शीर्ष **:** 80 सामान्य
लघु शीर्ष : 800 अन्य प्राप्तियॉ उप शीर्ष **:** 0001- बिहार विद्युत विनियामक आयोग
विपत्र संकेत (कोड) : N2801808000001 मांग संख्या : 10

क्रम सं0	कोटि वर्ग	पद का नाम	वर्ष: (पिछला वर्ष) पदो की संख्या		वर्ष: (चालू वर्ष) पदो की संख्या		अन्तर (वृद्धि(+)/कमी (-)).	वेतनमान (मूल + ग्रेड वेतन)	कार्यरत बल पर व्यय का विवरण									एक महीना में कुल व्यय (रूपयें हजार में)	एक वर्ष में कुल व्यय (रूपयें हजार में)
			कुल स्वीकृत बल	कुल कार्यरत बल	1 ली सितम्बर तक कुल स्वीकृत बल	1 ली सितम्बर तक कुल कार्यरत बल			वेतन	विशेष वेतन	मंहगाई भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	आथित्य भत्ता	चिकित्सा भत्ता	घरेलु मदद भत्ता	अन्य भत्ता		